

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 14, 2016/चैत्र 25, 1938 No. 268] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 14, 2016/ CHAITRA 25, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 424(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 है ।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातु:-
- '(ख) "आश्रित" से पीड़ित के पति या पत्नी, वालक, माता-पिता, भाई और बहन अभिप्रेत हैं जो आलंब और पोषण के लिए ऐसे पीड़ित पर पूर्णतया या मुख्यतया आश्रित हैं;'।
- 3. उक्त नियम के नियम 4 में.—
 - (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(1) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की ऐसी संख्या का पैनल प्रत्येक जिले के लिए तैयार करेगी जो कम से कम सात वर्ष से विधि व्यवसाय में हों जैसा वह विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों को संचालित करने के लिए आवश्यक समझे ।
- (1अ) राज्य सरकार निदेशक अभियोजन या अभियोजन भारसाधक के परामर्श से लोक अभियोजकों और अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की ऐसी संख्या का पैनल भी विनिर्दिष्ट करेगी जो वह यथास्थिति विशेष न्यायालयों और अनन्य विशेष न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए आवश्यक समझे।

1847 GI/2016 (1)

- (1आ) उपनियम (1) और उपनियम (1ख) में निर्दिष्ट दोनों पैनल राज्य के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अविध के लिए प्रवृत्त रहेंगे।" ;
- (ख) उपनियम (2) में "विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे।
- (ग) उपनियम (3) में "किसी विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "किसी विशेष लोक अभियोजक या अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे।
- (घ) नियम 4 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(4) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन का भारसाधक अधिकारी को,–
 - (क) इस अधिनियम के अधिनियम रिजस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति ;
 - (ख) अधिनियम के अध्याय 4 क के उपवंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों का कार्यान्वयन,
- का पुनर्विलोकन करेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास की वीसवीं तारीख को या उससे पूर्व अभियोजन निदेशक और राज्य सरकार को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन के संबंध में की गई या किऐ जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई विनिर्दिष्ट होगी।";
- (ड.) उपनियम (5) में "विशेष न्यायालयों में न्यायालयों का संचालन के लिए" शब्दों के स्थान पर "विशेष न्यायालयों या अनन्य विशेष न्यायालयों में मामलों के संचालन के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;
- (च) उपनियम (6) के स्थान पर, "विशेष लोक अभियोजक" शब्दों के स्थान पर "विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक" शब्द रखे जाएंगे।
- 4. उक्त नियमों के नियम 7 में,-
- (क) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अन्वेषण अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर अन्वेषण पूरा करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार को पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भारसाधक साठ दिन की अवधि (इस अवधि में अन्वेषण और आरोप पत्र फाइल किया जाना भी सम्मिलित हैं) के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करेगा।
- (2क) उप नियम (2) के अनुसार अन्वेषण में या आरोप पत्र फाडल करने में विलंब यदि कोई हो, अन्वेषणकारी अधिकारी द्वारा लिखित में स्पष्ट किया जाएगा।";
- (ग) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात:-
- "(3) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सचिव, गृह विभाग और सचिव, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग(विभाग का नाम राज्य दर राज्य परिवर्तित हो सकता है), संबद्ध राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का अभियोजन निदेशक, अभियोजन भारसाधक अधिकारी और पुलिस महानिदेशक या भारसाधक पुलिस आयुक्त, अन्वेषण अधिकारी द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की प्रत्येक तिमाही के अंत तक स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा।"।
- 5. उक्त नियमों में, नियम 8 के उप नियम (1) में खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(via) अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्य के अधिकारों के कार्यान्वयन के बारे में नोडल अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को सूचित करना;"।
- 6. उक्त नियम के नियम 9 में, खंड (vi) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- "(vii) अधिनियम के अध्याय 4क के उपवंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों का कार्यान्वयन।"।
- 7. उक्त नियम के नियम 10 में, खंड (iii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-
- "(iv) परिलक्षित क्षेत्रों में अधिनियम के अध्याय 4क के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट पीड़ितों और साक्ष्यों के अधिकारों का कार्यान्वयन ।"।

- 8. उक्त नियम के नियम 12 में,—
- (क) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-
- "(4) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट आवश्यक प्रशासनिक और अन्य प्रवंध करेगा तथा अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को इन नियमों से उपावंध अनुसूची के उपावंध 2 के साथ पठित उपावंध 1 में यथा उपवंधित पैमाने के अनुसार अत्याचार के पीड़ितों उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिन के भीतर नकदी या वस्तुरूप या दोनों में अनुतोष प्रदान करेगा और ऐसे तुरंत अनुतोष में भोजन, जल, कपड़े, आश्रय, चिकित्सीय सहायता, परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित हैं।
- (4अ) खजाने से तुरंत धन निकालने के लिए जिससे कि उप नियम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अनुतोष रकम का समय से उपबंध किया जा सके, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक प्राधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकेगी।
- (4आ) विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय अधिनियम की धारा 15क की उपधारा (6) के खंड (ग) में यथा उपवंधित किसी अन्वेषण जांच और विचारण के दौरान सामाजिक, आर्थिक और पुनर्वास का आदेश भी कर सकेगा।";
- (ख) उपनियम (7) में, "विशेष न्यायालय" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां जहां वे आते हैं "विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय" शब्द क्रमश: रखे जाएंगे।
- 9. उक्त नियम में नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "14. **राज्य सरकार का विनिर्दिष्ट दायित्व** (1) राज्य सरकार अपने वार्षिक वजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए और साथ ही अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच प्राप्त करने में पीड़ितों और साक्षियों की अधिकारों और हकदारियों के लिए समुचित स्कीम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक उपवंध करेगी।
- (2) राज्य सरकार एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट या नियुक्त विशेष लोक अभियोजक और अनन्य विशेष लोक अभियोजक के कार्यपालन का, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों, उनके द्वारा किए गए अन्वेषण और उठाए गए निवासत्मक कदमों, पीड़ितों को दिए गए अनुतोष और पुनर्वास सुविधाओं और संबंधित अधिकारियों की ओर से हुई गलतियों से संबंध में रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करेगी।"।
- 10. उक्त नियम के नियम 15 में.-
- (i) उपनियम (1) में,—
- (क) "उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श आकस्मिकता योजना तैयार करेगी", के शब्दों के स्थान पर "उपबंधों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक योजना बनाएगी और उसे कार्यान्वित करेगी" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) 🛮 खंड क के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(कक) अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा 11 में यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए एक समुचित स्कीम;
- (ii) उपनियम (2) में, "कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्दों के स्थान पर "सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को" शब्द रखे जाएंगे।
- 11. उक्त नियम में नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
- "16. राज्य स्तरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन:
 - (1) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:--
 - (i) मुख्यमंत्री या प्रशासक-अध्यक्ष (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में राज्यपाल अध्यक्ष होगा);

- (ii) गृहमंत्री, बित्त मंत्री और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक मंत्री सदस्य (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य की दशा में सलाहकार सदस्य होंगे);
- (iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संसद्, राज्य विधान सभा और विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे;
- (iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, निदेशक/उपनिदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य होंगे;
- (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास का भारसाधक सचिव ।
- (2) उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति की बैठक अधिनियम के उपबधों के कार्यान्वयन अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) यथा विनिर्दिष्ट न्याय तक पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम, पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत और पुनर्वास सुविधाओं तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों, अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों या अभिकरणों की भूमिका का पुनर्विलोकन करने के लिए और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों जिनके अंतर्गत नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी की रिपोर्टें भी हैं, का पुनर्विलोकन करने के लिए कैलेंडर वर्ष में कम से कम दो बार जनवरी और जुलाई के मास में होगी।"
- 12. उक्त नियम के नियम 17 के, उपनियम (1) में, "अधिनियम के उपवंधों के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंत:स्थापित किए जांएगे ।
- 13. उक्त नियम के, नियम 17क के, उपनियम (1) में "अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करने के लिए" शब्दों के पश्चात्, "अधिनियम के अध्याय 4क की धारा 15क की उपधारा (11) में यथा विनिर्दिष्ट न्याय की पहुंच में पीड़ित व्यक्तियों और साक्षियों के अधिकारों और हकदारियों के लिए स्कीम" शब्द अंत:स्थापित किए जांएगे।
- 14. उक्त नियमों की, अनुसूची में, उपाबंध 1 के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपा**बंध**-l

[नियम 12(4) देखिए]

राहत राशि के लिए मापदंड

age are true and		
क्रम सं	अपराध का नाम	गहत की न्यूनतम गशि
(1)	(2)	(3)
1.	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना [(अधिनियम की धारा 3(1)(क)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । पीड़ित व्यक्ति को सदाय
2.	मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना [(अधिनियम की धारा 3(1)(ख)]	निम्नानुसार किया जाए: (i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	क्षति करने, अपमानित या क्षुच्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ग)]	(एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
4.	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना [अधिनियम की धारा 3(1)(घ)]	(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत;
5.	वलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, वलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना [अधिनियम की धारा 3(1)(ड.)]	(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
6.	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना [अधिनियम की धारा 3(1)(च)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए । जहां आवश्यक हो वहां संवंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी
7.	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत बन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना [अधिनियम की धारा 3(1)(च.)]	खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी । पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार सदाय किया जाएगा:

		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोपसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8.	वेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम [अधिनियम की धारा 3(1)(ज)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा
9.	मानव या पशुशवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना [अधिनियम की धारा 3(1)(झ.)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
10.	अनुमूचित जाति या अनुमूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)]	(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समपर्ण का संवर्धन करने [अधिनियम की धारा 3(1)(ट)]	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(5)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपण्। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना [अधिनियम की धारा 3(1)(ड)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;
14.	मतदान के पश्चात् हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक वहिष्कार का अधिरोपण [अधिनियम की धारा 3(1)(ह)]	(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ण)]	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्रवाडयां संस्थित करना [अधिनियम की धारा 3(1)(त)]	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) त्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोपसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना [अधिनियम की धारा 3(1)(थ)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास [अधिनियम की धारा 3(1)(द)]	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना [अधिनियम की धारा 3(1)(ध)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुँचाना या उसे अपवित्र करना [अधिनियम की धारा 3(1)(न)]	पर 25 प्रतिशत ।
21.	शत्रुता, घृणा स वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना [अधिनियम की धारा 3(1)(प)]	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना [अधिनियम की धारा 3(1)(फ)]	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के विना उसे स्पर्श करना [अधिनियम की धारा 3(1)(व)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भाग्तीय दंड संहिता की धारा 326ख (1860 का 45) स्वेच्छ्रया अस्ल फैंकना या फैंकने का प्रयत्न करना ।[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)]	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आँख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य हास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की अति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रुपए; (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रुपए; (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रुपए।
		इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निवंधनानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:
		(i)प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत ।
25.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या आपराधिक वल का प्रयोग [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत; (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत; (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़ने के लिए दंड [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;

		T
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत;
		(iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25
		प्रतिशत ।
27.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ख(1860 का 45) निर्वस्त्र करने के	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपए । सदाय निम्नानुसार किया
	आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक वल का प्रयोग [अधिनियम की	जाएगा :
	अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25
		प्रतिशत ।
28.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354ग(1860 का 45) दृश्यरतिकता	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए । संदाय निम्नानुसार किया
	[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	जाएगा:
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त त्र्यक्ति को दोषसिद्ध
		किए जाने पर 40 प्रतिशत ।
29.	भारतीय दंड संहिता की धारा 354घ(1860 का 45) पीछा करना	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपण्। सँदाय निम्नानुसार किया
20.	[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	जाएमा:
	[analysis of algorithms in the art of the old	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत;
		(ji) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोपसिद्ध
		किए जाने पर 40 प्रतिशत ।
30.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख(1860 का 45) पति द्वारा अपनी	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपण् । संदाय निम्नानुसार किया
30.	पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ	पाड़ित व्यक्तिका दो लाख रुपण् । सदीय निम्नानुसार किया जाएगा:
	पठित धारा 3(2)(vक)]	(i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के
	1150 (411 O(2)(V1))	पश्चात् 50 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोपसिद्ध
		(III) अवर स्थायालय द्वारा आभयुक्त व्याक्त का दापासद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
24		-
31.	भारतीय दंड संहिता की धारा 376ग(1860 का 45) प्राधिकार में किसी	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रुपाए। संदाय निम्नानुसार किया
	व्यक्ति द्वारा मैथुन [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा	जाएगा:
	3(2)(v 市)]	(i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के
		पश्चात् 50 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्ति पर 25
		प्रतिशत ।
32.	भारतीय दंड संहिता की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रुपण् । संदाय निम्नानुसार किया
	कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है	जाएगा:
	[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(vक)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध
		किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
33.	जल को दूषित या गंदा करना [अधिनियम की धारा 3(1)(भ)]	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया
		जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च
		संब्रह्म राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा बहन
		किया जाएगा । इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की

		रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा
		विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक आस्तियों को
		सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से	संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा
	इनकार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रुपए और गुजरने
	पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना [अधिनियम की धारा 3(1)(म)]	के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च । संदाय निम्नानुसार किया
		जाएंगा :
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ;
		(iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध
		किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना [अधिनियम	संबधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह,
	की धारा 3(1)(य)]	ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार
		की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की सहत
		तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुन: संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो
		गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत;
		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत ;
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध
		किए जाने पर 25 प्रतिशत ।
36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी गीति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित	(अ): क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कत्रिस्तान या श्मशान
	जनजाति के सदस्य को बांधा डालना या निवारित करना –	भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या
	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर	े. किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल
	कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक,	स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या
	ूँ हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन,	रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य
	किसी सड़क या सम्ते का उपयोग [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)]	सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और
		पीड़ित को एक लाख रुपए की राहत। सदाय निम्नानुसार
		किया जाएगा :
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;
		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा
		दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना	(आ): सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर
	या जूतादि या नए बस्त्र पहनना या बागत निकालना या बागत के दौरान	सवार होना या जूतादि या नए वस्त्र पहनना या बारात
	घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना [अधिनियम की	निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य
	धारा 3(1)(यक)(आ)]	वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
		द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का
		अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;
		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा
		दोषसिद्ध किये जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों	(इ): अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा
	के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी	स्थल में प्रवेश करना, जो पछितक या अन्य यक्तियों के लिए
	सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं, निकालना या	खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी
	उनमें भाग लेना । [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)]	सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा हैं,
L	· I · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	500 360 000 000 000

		निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष । संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना ; या पिटलक के लिए खुले किसी स्थान में पिटलक द्वारा उपयोग के लिए आशयित वर्तनों या वस्तुओं का उपयोग । [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(ई)]	दोषसिद्ध किये जाने पर। (ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना; या पिळतक के लिए खुले किसी स्थान में पिळतक द्वारा उपयोग के लिए आशयित वर्तनों या वस्तुओं के उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र त्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर त्यायालय द्वारा
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पिळ्लक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुँच का अधिकार है। [अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(उ)]	दोषसिद्ध किये जाने पर। (उ): कोई व्यवसाय करने या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पिक्रिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग के उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रुपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
37.	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना । [अधिनियम की धारा 3(1)(यख)]	पीड़ित को एक लाख रुपए और उसके अनादर वेडज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र त्यायालय को भेजा जाता है; (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर त्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना [अधिनियम की धारा 3(1)(यग)]	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	मिथ्या साध्य देना या गढ़ना । [अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)]	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा: (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत; (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;

		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा
		दोषसिद्ध किये जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस	पीड़ित और या उसके आश्रितों को चार लाख रुपए। इस रकम
	वर्ष से उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। [अधिनियम की धारा	में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा
	3(2)]	उपत्रंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;
		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है;
		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा
		दोषसिद्ध किये जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए । इस रकम में
	अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा	फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्टत अन्यथा
	ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्टत किया गया है।	उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
	[अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)]	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;
		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा
		दोषसिद्ध किये जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना । [अधिनियम की धारा 3(2)(vii)]	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रुपए । संदाय
		निम्नानुसार किया जाएगा :
		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट(एफआईआर) पर 25 प्रतिशत ;
		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
		(iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा
		दोषसिद्ध किये जाने पर।
43.	नि:शक्तता । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना	
	सं. 16-18/97-एनआई तारीख 1 जून, 2001 में यथा प्रमाणन की	
	प्रक्रिया के लिए अंतविशिंट विभिन्न नि:शक्तताओं के मृल्यांकन के लिए	
	मार्गदर्शक सिद्धांत । अधिसूचना की एक प्रति उपावध 2 पर है ।	
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता	पीड़ित को आठ लाख और पद्मीस हजार रुपए संदाय
		निम्नानुसार किया जाएगा :
		(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात्
		50 प्रतिशत;
		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
	(ख) जहां अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किंतु पचास प्रतिशत से अधिक	पीड़ित को चार लाख और पञ्चास हजार रुपए सदाय
	है।	निम्नानुसार किया जाएगा :
		(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात्
		50 प्रतिशत ;
		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है ।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रुपए सँदाय
		निम्नानुसार किया जाएगा :
		(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात्
		50 प्रतिशत ;
		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44.	वलात्संग या सामूहिक वलात्संग	पीड़ित को पांच लाख रूपए सदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
	(i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375)	(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात्
		50 प्रतिशत ;
		(ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
1		1.57

	(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25
	प्रतिशत ।
ामूहिक व्रलात्संग (भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा ग)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रुपण् संदाय निम्नानुसार किया जाण्गा :
	(i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पृष्टी के पश्चात् 50 प्रतिशत;
	(ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है ;
	(iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपाए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा:
	(i) शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत ;
	(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर ।
मृत्यु, सामृहिक हत्या, बलात्संग, सामृहिक बलात्संग, स्थायी ता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष ।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रवंध किया जाएगा:—
	(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रुपए की मूल पेंशन के साथ अनुजेय महंगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुदुंब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध:
	अपवय , (ii) पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण । बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा;
	(iii) वर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपवंध।
<mark>को पू</mark> र्णतया नष्ट करना या जलाना ।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"
	या मृत्यु मृत्यु, सामृहिक हत्या, बलात्संग, सामृहिक बलात्संग, स्थायी ता और डकैती के पीड़ितों को अतिरिक्त अनुतोष।

[फा. सं. 11012/1/2016-पीसीआर (डेस्क)]

आईन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 316(अ) तारीख 31 मार्च, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 774(अ) तारीख 5 नवंबर, 2014 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th April, 2016

- **G.S.R. 424 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
- '(b) " dependent" means the spouse, children, parents, brother and sister of the victim, who are dependent wholly or mainly on such victim for support and maintenance; '.
- 3. In the said rules, in rule 4, —
- (a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-
- " (1) The State Government, on the recommendation of the District Magistrate, shall prepare for each District a panel of such number of eminent senior advocates who have been in practice for not less than seven years, as it may deem necessary for conducting cases in the Special Courts and Exclusive Special Courts.
- (1A) The State Government in consultation with the Director Prosecution or in charge of the prosecution, shall also specify a panel of such number of Public Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors, as it may deem necessary for conducting cases in the Special Courts and Exclusive Special Courts, as the case may be.
- (1B) Both the panels referred to in sub-rule (1) and sub-rule (1A) shall be notified in the Official Gazette of the State and shall remain in force for a period of three years. ";
- (b) in sub-rule (2) , for the words "Special Public Prosecutors", the words "Special Public Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors" shall be substituted;
- (c) in sub-rule (3) , for the words " a Special Public Prosecutor", the words " a Special Public Prosecutor or an Exclusive Special Public Prosecutor" shall be substituted;
- (d) for sub-rule (4) of rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- " (4) The District Magistrate and the officer-in-charge of the prosecution at the District level, shall review,—
 - (a) the position of cases registered under the Act;

- (b) the implementation of the rights of victims and witnesses, specified under the provisions of Chapter IV A of the Act,
- and submit a monthly report on or before 20th day of each subsequent month to the Director of Prosecution and the State Government, which shall specify the actions taken or proposed to be taken in respect of investigation and prosecution of each case. ";
- (e) in sub-rule (5), for the words "conducting cases in the Special Courts", the words "conducting cases in the Special Courts or Exclusive Special Courts" shall be substituted;
- (f) in sub-rule (6), for the words "Special Public Prosecutor", the words "Special Public Prosecutor and Exclusive Special Public Prosecutor" shall be substituted.
- 4. In the said rules, in rule 7, —
- (a) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-
- "(2) The investigating officer so appointed under sub-rule (1) shall complete the investigation on top priority, submit the report to the Superintendent of Police, who in turn shall immediately forward the report to the Director General of Police or Commissioner of Police of the State Government, and the officer in- charge of the concerned police station shall file the charge sheet in the Special Court or the Exclusive Special Court within a period of sixty days (the period is inclusive of investigation and filing of charge-sheet).
- (2A) The delay, if any, in investigation or filing of charge-sheet in accordance with sub-rule (2) shall be explained in writing by the investigating officer.";
- (b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- " (3) The Secretary, Home Department and the Secretary, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Department (the name of the Department may vary from State to State) of the State Government or Union territory Administration, Director of Prosecution, the officer in-charge of Prosecution and the Director General of Police or the Commissioner of Police in-charge of the concerned State or Union territory shall review by the end of every quarter the position of all investigations done by the investigating officer. ".
- 5. In the said rules, in rule 8, in sub-rule (1), after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-
- " (via) informing the nodal officer and the concerned District Magistrates about implementation of the rights of victims and witnesses specified under the provisions of Chapter IV A of the Act;".
- 6. In the said rules, in rule 9, after clause (vi), the following clause shall be inserted namely:-
- " (vii) implementation of the rights of victims and witnesses specified under the provisions of Chapter IVA the Act. ".
- 7. In the said rules, in rule 10, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:-
- " (iv) implementation of the rights of victims and witnesses specified under the provisions of Chapter IVA of the Act, in the identified areas. ".

- 8. In the said rules, in rule 12, —
- (a) for sub-rule (4), the following shall be substituted , namely:-
- " (4) The District Magistrate or the Sub- Divisional Magistrate or any other Executive Magistrate shall make necessary administrative and other arrangements and provide relief in cash or in kind or both within seven days to the victims of atrocity, their family members and dependents according to the scale as provided in Annexure-I read with Annexure-II of the Schedule annexed to these rules and such immediate relief shall also include food, water, clothing, shelter, medical aid, transport facilities and other essential items.
- (4A) For immediate withdrawal of money from the treasury so as to timely provide the relief amount as specified in sub-rule (4), the concerned State Government or Union territory Administration may provide necessary authorisation and powers to the District Magistrate.
- (4B) The Special Court or the Exclusive Special Court may also order socio-economic rehabilitation during investigation, inquiry and trial, as provided in clause (c) of sub-section 6 of section 15A of the Act. ";
- (b) in sub-rule (7), for the words "Special Court" at both the places where they occur, the words "Special Court or Exclusive Special Court" shall respectively be substituted.
- 9. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-
- "14. SPECIFIC RESPONSIBILITY OF STATE GOVERNMENT.—(1) The State Government shall make necessary provisions in its annual budget for providing relief and rehabilitation facilities to the victims of atrocity, as well as for implementing an appropriate scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice as specified in sub-section (11) of section 15A of Chapter IV A of the Act.
- (2) The State Government shall review at least twice in a calendar year, in the month of January and July the performance of the Special Public Prosecutor and Exclusive Special Public Prosecutor specified or appointed under section 15 of the Act, various reports received, investigation made and preventive steps taken by the District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate and Superintendent of Police, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and the reports in respect of lapses on behalf of the concerned officers. ".
- 10. In the said rules, in rule 15, —
- (i) in sub-rule (1),—
- (A) for the words "shall prepare a model contingency plan for implementing", the words "shall frame and implement a plan to effectively implement" shall be substituted;
- (B) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
- " (aa) an appropriate scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice, as specified in sub-section (11) of section 15 A of Chapter IV A of the Act;

- (ii) in sub-rule (2), for the words " to the Central Government in the Ministry of Welfare", the words " to the Central Government in the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment" shall be substituted.
- 11. In the said rules, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-
- " 16. CONSTITUTION OF STATE-LEVEL VIGILANCE AND MONITORING COMMITTEE:
- (1) The State Government shall constitute high power vigilance and monitoring committee of not more than twenty-five members consisting of the following, namely:--
- (i) Chief Minister or Administrator Chairman (in case of a State under President's Rule, the Governor shall be the Chairman);
- (ii) Home Minister, Finance Minister and Minister(s) in-charge of welfare and development of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Members (in case of a State under the President's Rule, the Advisors shall be Members);
- (iii) all elected Members of Parliament and State Legislative Assembly and Legislative Council from the State belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be Members;
- (iv) Chief Secretary, the Home Secretary, the Director General of Police, Director/Deputy Director, the National Commission for the Scheduled Castes and the National Commission for the Scheduled Tribes shall be Members;
- (v) the Secretary in-charge to the welfare and development of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be Convener.
- (2) The high power vigilance and monitoring committee shall meet at least twice in a calendar year, in the month of January and July to review the implementation of the provisions of the Act, scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice, as specified in sub-section (11) of section 15A of Chapter IV A of the Act, relief and rehabilitation facilities provided to the victims and other matters connected therewith, prosecution of cases under the Act, role of different officers or agencies responsible for implementing the provisions of the Act and review of various reports received by the State Government including that of the nodal officer and special officer. "
- 12. In the said rules in rule 17, in sub-rule (1), after the words "review the implementation of the provisions of the Act, ", the words " scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice, as specified in sub-section (11) of section 15A of Chapter IV A of the Act, " shall be inserted.
- 13. In the said rules, in rule 17A, in sub-rule(1), after the words, "review the implementation of the provisions of the Act", the words "scheme for the rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice, as specified in sub-section (11) of section 15A of Chapter IV A of the Act, ", shall be inserted.
- 14. In the said rules, in the Schedule, for Annexure-I, the following Annexure shall be substituted, namely:-

"ANNEXURE-I [See rule 12(4)] NORMS FOR RELIEF AMOUNT

Sr. No.	Name of the offence	Minimum amount of relief
(1)	(2)	(3)
1.	Putting any inedible or obnoxious substance [Section 3(1)(a) of the Act]	One lakh rupees to the victim. Payment to then victim be made as follows:
2.	Dumping excreta, sewage, carcasses or any other obnoxious substance [Section 3(1)(b) of the Act]	(i) 10 per cent. at First Information Report (FIR) stage for serial numbers (2) and (3) and 25 percent at FIR stage for serial numbers (1), (4)
3.	Dumping excreta, waste matter, carcasses with intent to cause injury, insult or annoyance [Section 3(1)(c) of the Act]	and (5); (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
4.	Garlanding with footwear or parading naked or semi-naked[Section 3(1)(d) of the Act]	the court; (iii) 40 per cent. when the accused are convicted
5.	Forcibly committing acts such as removing clothes, forcible tonsuring of head, removing moustaches, painting face or body [Section 3(1)(e) of the Act]	by the lower court for serial numbers (2) and (3
6.	Wrongful occupation or cultivation of land [Section 3(1)(f) of the Act]	One lakh rupees to the victim. The land or premises or water supply or irrigation facility shall be restored where necessary at Government cost
7.	Wrongful dispossession of land or premises or interfering with the rights, including forest rights. [Section 3(1)(g) of the Act]	by the concerned State Government or Union territory Administration. Payment to the victim be made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.

8.	Begar or other forms of forced or bonded labour [Section 3(1)(h) of the Act]	One lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows:
9.	Compelling to dispose or carry human or animal carcasses, or to dig graves [Section 3(1)(i) of the Act]	(i) Payment of 25 per cent. First Information Report (FIR) stage;
10.	Making a member of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes to do manual scavenging or employing him for such purpose [Section 3(1)(j) of the Act]	(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court;(iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
11.	Performing, or promoting dedication of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe woman as a devadasi [Section 3(1)(k) of the Act]	
12.	Prevention from voting, filing nomination [Section 3(1)(1) of the Act]	Eighty-five thousand rupees to the victim. Payment to be made as follows:
13.	Forcing, intimidating or obstructing a holder of office of Panchayat or Municipality from performing duties [Section 3(1)(m) of the Act]	(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
14.	After poll violence and imposition of social and economic boycott [Section 3(1)(n) of the Act]	the court; (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
15.	Committing any offence under this Act for having voted or not having voted for a particular candidate [Section 3(1)(o) of the Act]	
16.	Instituting false, malicious or vexatious legal proceedings [Section 3(1)(p) of the Act]	Eighty-five thousand rupees to the victim or reimbursement of actual legal expenses and damages, whichever is less. Payment to be made as follows: (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;

		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
17.	Giving false and frivolous information to a	One lakh rupees to the victim or reimbursement
	public servant [Section 3(1)(q) of the Act]	of actual legal expenses and damages, whichever
		is less. Payment to be made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
18.	Intentional insult or intimidation to	One lakh rupees to the victim. Payment to be
	humiliate in any place within public view	made as follows:
	[Section 3(1)(r) of the Act]	
19.	Abusing by caste name in any place	(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
	within public view [Section 3(1)(s) of the	stage;
	Act]	
20.	Destroying, damaging or defiling any	(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
	object held sacred or in high esteem [the court;
	Section 3(1)(t) of the Act]	(***) 25
21.	Promoting feelings of enmity, hatred or	(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
	ill-will [Section 3(1)(u) of the Act]	by the lower court.
22.	Disrespecting by words or any other	
	means of any late person held in high	
	esteem [Section 3(1)(v) of the Act]	
23.	Intentionally touching a Scheduled	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	Caste or a Scheduled Tribe woman	made as follows:
	without consent, using acts or	(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
	gestures, as an act of sexual nature, [stage;
	Section 3(1)(w) of the Act]	(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
24.	Section 326B of the Indian Penal Code (45	(a) Eight lakh and twenty-five thousand rupees to
	of 1860)Voluntarily throwing or	the victim with burns exceeding and 2 per cent

	attempting to throw acid. [Section 3(2)(va)	and above burns on face or in case of functional
	read with Schedule to the Act]	impairment of eye, ear, nose and mouth and or
		burn injury on body exceeding 30 per cent;
		(b) four lakh and fifteen thousand rupees to the
		victim with burns between 10 per cent. to 30 per
		cent. on the body;
		(c) eighty-five thousand rupees to the victim with
		burns less than 10 per cent. on the body other
		than on face.
		In addition, the State Government or Union
		territory Administration shall take full
		responsibility for the treatment of the victim of
		acid attack.
		The payment in terms of items (a) to (c) are to
		be made as follows:
		(i) 50 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. after receipt of medical report.
25.	Section 354 of the Indian Penal Code (45 of	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	1860) Assault or criminal force to	made as follows:
	woman with intent to outrage her	(i) 50 per cent. at First Information Report (FIR)
	modesty.	stage;
		(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to
	[Section 3(2) (va) read with Schedule to	the court;
	the Act]	(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by
		the lower court.
26.	Section 354A of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860)Sexual harassment and	made as follows:
	punishment for sexual harassment.	(i) 50 per cent. at First Information Report (FIR)
	[Section 32) (va) read with Schedule to	stage;
	the Act]	(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by the
		lower court.

27.	Section 354 B of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Assault or use of criminal force	made as follows:
	to woman with intent to disrobe [Section	(i) 50 per cent. at First Information Report (FIR)
	3(2)(va) read with Schedule to the Act]	stage;
		(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by
		the lower court.
28.	Section 354 C of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Voyeurism. [Section 3(2)(va) read	made as follows:
	with Schedule to the Act]	(i) 10 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court.
		(iii) 40 per cent. when the accused are
		convicted by the lower court.
29.	Section 354 D of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Stalking. [Section 3(2)(va) read	made as follows:
	with Schedule to the Act]	(i) 10 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 40 per cent. when the accused are
		convicted by the lower court.
30.	Section 376B of the Indian Penal Code (45	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Sexual intercourse by husband	made as follows:
	upon his wife during separation. [Section	(i) 50 per cent. after medical examination and
	3(2)(va) read with Schedule to the Act]	confirmatory medical report;
		(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
31.	Section 376C of the Indian Penal Code (45	Four lakh rupees to the victim. Payment to be
	of 1860) Sexual intercourse by a person	made as follows:
	in authority. [Section 3(2)(va) read with	(i) 50 per cent. after medical examination and
	Schedule to the Act]	confirmatory medical report;
		(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to

		the court;
		(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by the
		lower court.
32.	Section E00 of the Indian Benal Code (45 of	Two lakh rupees to the victim. Payment to be
32.	Section 509 of the Indian Penal Code (45 of	,
	1860) Word, gesture or act intended to	made as follows:
	insult the modesty of a woman. [Section	(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
	3(2)(va) read with Schedule to the Act]	stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
33.	Fouling or corrupting of water [Section	Full cost of restoration of normal facility,
	3(1)(x) of the Act]	including cleaning when the water is fouled, to be
		borne by the concerned State Government or
		Union territory Administration. In addition, an
		amount of eight lakh twenty-five thousand rupees
		shall be deposited with the District Magistrate for
		creating community assets of the nature to be
		decided by the District Authority in consultation
		with the Local Body.
34.	Denial of customary right of passage to	Four lakh twenty-five thousand rupees to the
	a place of public resort or obstruction	victim and cost of restoration of right of passage
	from using or accessing public resort	by the concerned State Government or Union
	[Section 3(1)(y) of the Act]	territory Administration. Payment to be made as
		follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
35.	Forcing of causing to leave house,	Restoration of the site or right to stay in house,
	village, residence desert place of	village or other place of residence by the
	residence [Section 3(1)(z) of the Act]	concerned State Government or Union territory
		Administration and relief of one lakh rupees to
		the victim and reconstruction of the house at
		Government cost, if destroyed. Payment to be

22

		made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court;(iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
36.	Obstructing or preventing a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any manner with regard to—	
	(A) using common property resources of an area, or burial or cremation ground equally with others or using any river, stream, spring, well, tank, cistern, water-tap or other watering place, or any bathing ghat, any public conveyance, any road, or passage [Section 3(1)(za)(A) of the Act]	(A): Restoration of the right using common property resources of an area, or burial or cremation ground equally with others or using any river, stream, spring, well, tank, cistern, water-tap or other watering place, or any bathing ghat, any public conveyance, any road, or passage equally with others, by the concerned State Government or Union Territory Administration and relief of one lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows: (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage; (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court; (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
	(<i>B</i>) mounting or riding bicycles or motor cycles or wearing footwear or new clothes in public places or taking out wedding procession, or mounting a horse or any other vehicle during wedding processions [Section 3(1)(za)(B) of the Act]	(B): Restoration of the right of mounting or riding bicycles or motor cycles or wearing footwear or new clothes in public places or taking out wedding procession, or mounting a horse or any other vehicle during wedding processions, equally with others by the concerned State Government or Union territory Administration and

relief of one lakh rupees to the victim. Payment

to be made as follows:

- (i) Payment of 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage;
- (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court;
- (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court;
- (*C*) entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in, or taking out, any religious, social or cultural processions including *jatras* [Section 3(1)(za)(C) of the Act]
- (C): Restoration of the right of entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in, or taking out any religious procession or jatras, as is open to the public or other persons professing the same religion, social or cultural processions including *jatras*, equally with other persons, by the concerned State Government or Union territory Administration and relief of one lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows:
- (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR) stage
- (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court.
- (iii) 25 per cent. when the accused are convicted by the lower court.
- (*D*) entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health centre, shop or place of public entertainment or any other public place; or using any utensils or articles meant for public use in any place open to the public[Section 3(1)(za)(D) of the Act]
- (D): Restoration of the right of entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health centre, shop or place of public entertainment or any other public place; or using any utensils or articles meant for public use in any place open to the public, equally with other persons by the concerned State Government or Union territory Administration and relief of one lakh rupees to the victim. Payment to be made as follows:
- (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)

		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
	(<i>E</i>) practicing any profession or the	(E): Restoration of the right of practicing any
	carrying on of any occupation, trade or	profession or the carrying on of any occupation,
	business or employment in any job which	trade or business or employment in any job
	other members of the public, or any	which other members of the public, or any
	section thereof, have a right to use or	section thereof, have a right to use or have
	have access to [Section 3(1)(za)(E) of	access to, by the concerned State
	the Act]	Government/Union territory Administration and
	the reci	relief of one lakh rupees to the victim. Payment
		to be made as follows:
		to be made as follows.
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
37.	Causing physical harm or mental agony	One lakh rupees to the victim and also
	on the allegation of being a witch or	commensurate with the indignity, insult, injury
	practicing witchcraft or being a witch	and defamation suffered by the victim. Payment
	[Section 3(1)(zb) of the Act]	to be made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
		,

38.	Imposing or threatening a social or economic boycott. [Section 3(1)(zc) of the Act]	Restoration of provision of all economic and social services equally with other persons, by the concerned State Government or Union territory Administration and relief of one lakh rupees to the victim. To be paid in full when charge sheet is sent to the lower court.
39.	Giving or fabricating false evidence	Four lakh fifteen thousand rupees to the victim.
	[Section 3(2)(i) and (ii) of the Act]	Payment to be made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
40.	Committing offences under the Indian	Four lakh rupees to the victim and or his
	Penal Code (45 of 1860) punishable with	dependents. The amount would vary, if
	imprisonment for a term of ten years or	specifically otherwise provided in this Schedule.
	more [Section 3(2) of the Act]	Payment to be made as follows:
		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court.
41.	Committing offences under the Indian	Two lakh rupees to the victim and or his
	Penal Code (45 of 1860) specified in the	dependents. The amount would vary if
	Schedule to the Act punishable with such	specifically otherwise provided in this Schedule.
	punishment as specified under the Indian	Payment to be made as follows: (i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
	Penal Code for such offences[Section 2(2) (12) mod with the School let to the Act]	
	3(2) (va) read with the Schedule to the Act]	stage; (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
		by the lower court;
42.	Victimisation at the hands of a public	Two lakh rupees to the victim and or his
,21	servant[Section 3(2) (vii) of the Act]	dependents. Payment to be made as follows:
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tag and the second of the seco

		(i) 25 per cent. at First Information Report (FIR)
		stage;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		(iii) 25 per cent. when the accused are convicted
42	Disability Coldships for analystics of	by the lower court.
43.	Disability. Guidelines for evaluation of	
	various disabilities and procedure for	
	certification as contained in the Ministry	
	of Social Justice and Empowerment	
	Notification No. 16-18/97-NI, dated the	
	1 st June, 2001. A copy of the notification	
	is at Annexure-II.	
	(a) 100 per cent. incapacitation	Eight lakh and twenty-five thousand rupees to
		the victim. Payment to be made as follows:
		(i) 50 per cent. after medical examination and
		confirmatory medical report;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		333.4
	(b) where incapacitation is less than 100	Four lakh and fifty thousand rupees to the victim.
	per cent. but more than 50 per cent.	Payment to be made as follows:
		(i) 50 per cent. after medical examination and
		confirmatory medical report;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
		the court;
		Two lakh and fifty thousand rupees to the victim.
	(c) where incapacitation is less than 50	Payment to be made as follows:
		(i) 50 per cent. after medical examination and
	per cent.	.,
		confirmatory medical report;
		(ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to
4.1		the court.
44.	Rape or Gang rape.	
	(i) Depot Continue 275 of the Indian Device	Five helds were to the state of Province of the
	(i) Rape[Section 375 of the Indian Penal	Five lakh rupees to the victim. Payment to be
	Code(45 of 1860)]	made as follows:

		(i) 50 per cent. after medical examination and confirmatory medical report;(ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to the court;(iii) 25 per cent. on conclusion of trial by the lower court.
	(ii) Gang rape [Section 376D of the Indian Penal Code(45 of 1860)]	Eight lakh and twenty-five thousand rupees to the victim. Payment to be made as follows: (i) 50 per cent. after medical examination and confirmatory medical report; (ii) 25 per cent. when the charge sheet is sent to the court; (iii) 25 per cent. on conclusion of trial by the lower court.
45.	Murder or Death.	Eight lakh and twenty-five thousand rupees to the victim. Payment to be made as follows: (i) 50 per cent. after post mortem report; (ii) 50 per cent. when the charge sheet is sent to the court.
46.	Additional relief to victims of murder, death, massacre, rape, gang rape, permanent incapacitation and dacoity.	In addition to relief amounts paid under above items, relief may be arranged within three months of date of atrocity as follows:- (i) Basic Pension to the widow or other dependents of deceased persons belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe amounting to five thousand rupees per month, as applicable to a Government servant of the concerned State Government or Union territory Administration, with admissible dearness allowance and employment to one member of the family of the deceased, and provision of agricultural land, an house, if necessary by outright purchase; (ii) Full cost of the education up to graduation level and maintenance of the children of the victims. Children may be admitted to Ashram

		schools or residential schools, fully funded by the
		Government;
		(iii) Provision of utensils, rice, wheat, dals,
		pulses, etc., for a period of three months.
47.	Complete destruction or burnt houses.	Brick or stone masonary house to be constructed
		or provided at Government cost where it has
		been burnt or destroyed."

[F. No. 11012/1/2016-PCR(Desk)]
AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *Extraordinary, vide* notification number G.S.R. 316(E), dated the 31st March, 1995 and last amended vide G.S.R. 774(E), dated the 5th November, 2014.

जिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



सत्यनेव जयते

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2018/आषाढ़ 6, 1940

No. 430]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2018/ASHADHA 6, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2018

सा.का.नि. 588(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2018 है।
- (2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(छक) "स्वेच्छया" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 39 में उसे दिया गया है।'।

- 3. उक्त नियम के नियम 12 में उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "(5) उपनियम (4) के अधीन अत्याचार पीड़ित व्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित को मृत्यु या क्षिति या बलात्संग या सामूहिक बलात्संग या प्रकृति विरुद्द अपराध या अम्ल के प्रयोग द्वारा स्वेच्छया घोर उपहित कारित करने या स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना आदि या सम्पत्ति को नुकसान के लिए राहत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगी।"।
- 4. उक्त नियम के, नियम 16 के उपनियम (1) में "अधिक से अधिक 25 सदस्यों की" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

- 5. उक्त नियमों की अनुसूची में, उपावंध 1 में,-
- (क) क्रम संख्यांक 24 के सामने स्तम्भ (2) में, प्रविष्टयों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
 - "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित े करना।"
 - "भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326ख स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना, [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित "धारा 3(2)(फ), 3(2) (फक)"] रखा जाएगा;
- (ख) क्रम संख्यांक 26 के सामने स्तम्भ (2) में "धारा 32(फक)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 3(क)(फक)" शब्द, अंक, कोष्टक और अक्षर रखे जाएंगे।
- (ग) क्रम संख्यांक 44 के सामने स्तम्भ (2) में, -
 - (i) "बलात्संग या सामूहिक बलात्संग" शब्दों के स्थान पर "बलात्संग, प्रकृति विरुद्ध अपराध या सामूहिक बलात्संग' शब्द रखे जाएंगे।
 - (ii) मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "(i) वलात्संग आदि या प्रकृति के विरुद्ध अपराध [भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376 ड. और धारा 377]।"।

[फा.सं. 11012/1/2016-पीसीआर (डेस्क)] आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2018

- G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-
- (1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the rules), in rule 2, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-
 - '(ga) "voluntarily" shall have the same meaning as assigned to it in section 39 of the Indian Penal Code (45 of 1860).'.

In the said rules, in rule 12, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

- "(5) The relief provided to the victim of the atrocity or his/her dependent under sub-rule (4) in respect of death, or injury or rape, or gang rape, or unnatural offences, or voluntarily causing grievous hurt by use of acid, or voluntarily throwing or attempting to throw acid etc. or damage to property shall be in addition to any other right to claim compensation respect thereof under any other law for the time being in force.".
- 4. In the said rules. In sub-rule (1) of rule 16, the words and figures "of not more than 25 members" shall be omitted.
- In the said rules, in the Schedule, in annexure-I,-
 - (a) against Sr. No. 24, in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Section 326A of the Indian Penal Code (45 of 1860)- Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.,

Section 326B of the Indian Penal Code (45 of 1860)- Voluntarily throwing or attempting to throw acid,

[Section 3(2)(v), 3(2)(va) read with Schedule to the Act]" shall be substituted;

- (b) against Sr. No. 26, in column (2), for the words, figures, brackets and letters "Section 32)(va)", the words, figures, bracket and letters "Section 3 (a) (va)" shall be substituted;
- (c) against Sr. No. 44, in column (2),-
 - (i) For the words, "Rape or Gang rape", the words "Rape, Unnatural Offences or Gang rape" shall be substituted;
 - (ii) For item (i), the following item shall be substituted, namely:-"(i) Rape, etc., or Unnatural Offences (Sections 375, 376, 376A, 376E and 377 of the Indian Penal Code (45 of 1860)].".

[F. No. 11012/1/2016-PCR (Desk)]
AINDRI ANURAG, Jt. Secy.